



पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय, रायबरेली  
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, RAEBARELI  
सिविल लाइन्स, गोरा बाज़ार, रायबरेली-229001  
CIVIL LINES, GORA BAZAR, RAEBARELI-229001  
Phone No.(s) :0535-2974141 (Office)  
website: raebareli.kvs.ac.in  
e-mail: pplkvrb1@gmail.com School Code:1754  
StationCode:414 CBSE Aff. No: 2100024 CBSE school  
Code: 74107

## प्रवेश सम्बंधी सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएम श्री के वि रायबरेली प्रथम पाली में कक्षा 2, 4, 5, 6 तथा 7 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 02.04.2025 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11.04.2025 सायं 5 बजे तक होगा। इन कक्षाओं में आवेदन के पश्चात् इनकी लाटरी एवं पहली अनंतिम सूची का प्रदर्शन दिनांक 17/04/2025 को किया जायेगा। प्रवेश सम्बन्धी विवरण विद्यालय की वेबसाइट <https://raebareli.kvs.ac.in/> के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक : <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAvEGXS7vK7jRwEip4R4dHVrJIOopnP5euQeIVBKM6OpbKTW/viewform?usp=sharing> है अथवा आवेदन हेतु निम्न QR कोड को स्कैन करें।



उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका 2025-26 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें और उसी के

अनुरूप आवेदन करें | एक बार आवेदन के पश्चात् यदि आपको प्रवेश के लिए बुलाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किये गए दावों के अनुसार आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिए अभिभावक पूर्णतया जिम्मेदार होंगे | साथ ही रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ अवश्य तैयार कर लें।

1. वर्तमान विद्यालय द्वारा जारी अंक पत्र (जन्मतिथि के प्रमाण के लिए)। प्रवेश सूची में नाम आने के बाद ही बच्चे का स्थानांतरण प्रमाणपत्र(TC) पिछले विद्यालय से लें |
  2. निवास का प्रमाण।
  3. बच्चे का नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो |
  4. जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)
  5. ब्लड ग्रुप प्रमाण - पत्र ।
  6. सेवा प्रमाण-पत्र (यदि अभिभावक सरकारी सेवा में हैं तथा नियमित कर्मचारी हैं)
  7. स्थानांतरण प्रमाण पत्र(पिछले सात वर्षों में हुए स्थानांतरण की संख्या, स्थानांतरण स्थान के बीच न्यूनतम दूरी 20 किमी तथा न्यूनतम ठहराव 6 महीना होने पर ही मान्य)
  8. विद्यालय से घर की दूरी का प्रमाण - पत्र (अभिभावक द्वारा स्व - घोषित )
- नोट :- किसी भी सरकारी सेवा के अंशकालिक / संविदा/तदर्थ कर्मचारी श्रेणी 5 के अंतर्गत आयेंगे, तथा उन्हें सरकारी सेवा के कर्मचारी श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा ।

**प्राचार्य**